भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.841
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में अमृत 2.0 **की स्थिति**

+841. **सुश्री इकरा चौधरीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में राज्य वार्षिक क्रियान्वयन योजनाओं के लक्ष्यों की तुलना में सीवेज कनेक्शनों की संख्या तथा सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले परिवारों का ज़िला-बार ब्यौरा क्या है**;**
(ख) उत्तर प्रदेश में अमृत **2.0** के अंतर्गत शहरों के चयन हेतु कौन-से मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त शहरों को शामिल किए जाने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव**,** यदि कोई हो**,** की वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है**;**
(ग) क्या सरकार ने अन्य शहरों में शहरी विकास की प्रगति की निगरानी हेतु कोई रूपरेखा अथवा समन्वय तंत्र तैयार किया है और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और
(घ) क्या सरकार की अमृत **2.0** का विस्तार करने अथवा आगामी चरणों में उभरते शहरी क्षेत्रों को शामिल करने हेतु कोई नई पहल शुरू करने की योजना है और यदि हाँ**,** तो प्रस्तावित रूपरेखा तथा अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत शामिल परिवारों का जिला-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) 01 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए अमृत 2.0 मिशन में जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य 500 अमृत शहरों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के सभी सांविधिक नगरों और शहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को

मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और उनका कार्यान्वयन करने का अधिकार है।

(ग) मिशन के दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन के दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति आवधिक रूप से मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत 2.0 के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। साथ ही, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा और निगरानी की जाती है। परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी रखने और उनकी निगरानी के लिए समर्पित अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल है।

(घ) अमृत 2.0 को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।

अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, बजट 2025-26 में, सरकार ने 'विकास केंद्रों के रूप में शहर', 'शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास' और 'जल और स्वच्छता' के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने के लिए 1 लाख करोड़ रु. का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की घोषणा की है, जिसमें से 10,000 करोड़ रु. वर्ष 2025-26 के लिए हैं। बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक की निधि इस शर्त के साथ वित्तपोषित की जाती है कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बॉन्ड, बैंक ऋणों और सार्वजनिक निजी साझेदारी से वित्तपोषित किया जाए।

*****

“उत्तर प्रदेश में अमृत 2.0 की स्थिति” के संबंध में दिनांक 04.12.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 841 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सीवर/सेप्टेज प्रबंधन के तहत शामिल परिवार

जिले का नाम	संख्या
आगरा	147811
अलीगढ़	39668
अंबेडकर नगर	21760
अमरोहा	25760
अयोध्या	73627
आजमगढ़	29410
बागपत	22310
बहराइच	20260
बाँदा	27260
बरेली	4500
बस्ती	25210
बदायूं	22100
बुलंदशहर	73707
देवरिया	23710
एटा	16968
इटावा	23810
फर्रुखाबाद	23490
फतेहपुर	24030
फिरोजाबाद	68662
गाजियाबाद	142723
गाजीपुर	10108
गोंडा	23320
गोरखपुर	54883
हापुड़	29664
हरदोई	24200
हाथरस	23680
जालौन	23187

जिले का नाम	संख्या
जौनपुर	43235
झांसी	23840
कानपुर	129938
खीरी	24300
ललितपुर	23530
लखनऊ	247641
मैनपुरी	32546
मथुरा	62687
मऊ	23990
मेरठ	77382
मिर्ज़ापुर-सह-विंध्याचल	34645
मुरादाबाद	118148
मुजफ्फरनगर	26260
पीलीभीत	24333
प्रयागराज	101223
रायबरेली	27010
रामपुर	42933
सहारनपुर	23458
संभल	25420
शाहजहांपुर	49234
शामली	23022
सीतापुर	24498
सुल्तानपुर	18560
उन्नाव	24860
वाराणसी	60523
कुल योग	2359034